कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्याः–550/रा0मे0का0आ0/ई0सी0–4/नियुक्ति–जे0आर0/विज्ञप्ति/2025 दिनॉक–09/6/2025

सेवायोजन विज्ञप्ति

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या–एम0ई0–3/2024/2443 दिनांक–22 अक्टूबर, 2024 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक–20.10.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में मेडिकल कालेजों की चिकित्सा प्रबन्धन एवं मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधायें एवं उनके तीमारदारों को बेहतर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (Hospital Administration) के कार्यो को सूचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि जिन मेडिकल कालेजों में बेडों की संख्या 500 से कम है, वहॉ पर अधिकतम 03 नॉन पी0जी0 जे0आर0 (अस्पताल प्रशासन) तथा जहॉ पर बेडों की संख्या 500 से अधिक है, वहॉ पर अधिकतम 05 नॉन पी0जी0 जे0आर0 (अस्पताल प्रशासन) की तैनाती नॉन पी0जी0 जे0आर0 के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष की जाय। आवेदक की अर्हता एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस0 एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0 डिग्री–मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन निर्धारित की गयी है, साथ ही इन पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा, आरक्षण इत्यादि की शर्ते पूर्ववत नॉन पी0जी0 जे0आर0 के अनुसार ही निर्धारित की गयी है। यह भी निर्देशित किया गया है कि मेडिकल कालेज की चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सीय सुविधाओं के बेहतर प्रबन्धन किये जाने हेतु ऐसे नियुक्त नॉन पी0जी0 जे0आर0 (अस्पताल प्रशासन), विभागाध्यक्ष, अस्पताल प्रशासन के अधीन कार्य करेंगे एवं अन्यथा की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक के अधीन कार्यरत होंगे।

उपरोक्त निर्देश के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़ में बेडों की संख्या 500 होने के दृष्टिगत 100 बिन्दु रोस्टर विषयक शासनादेश के प्रावधानों एवं एन0एम0सी0 मानकों के अनुपालन में चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सीय सुविधाओं के बेहतर प्रबन्धन किये जाने हेतु नॉन पी0जी0 जे0आर0 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष विभागवार नॉन पी0जी0 जे0आर0 के शेष रिक्त पद एवं **स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिकतम निर्देशानुसार 05 नॉन पी0जी0 जे0आर0 के पदों पर (जिसकी एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस0 एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0 डिग्री–मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अर्हता हो)** चयन हेतु साक्षात्कार (Walk-in-interview) दिनांक–20.06.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक आयोजित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी रिक्त पदों एवं अधिकतम 05 पदों पर (जो उपरोक्तानुसार अर्हता पूर्ण करते हों) साक्षात्कार (Walk-in-interview) हेतु अपने समस्त मूल पत्रों के साथ–साथ शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/आधार कार्ड/पैन कार्ड/जाति प्रमाण पत्र, दो फोटो तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों की छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

09/06/25

चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सीय सुविधाओं के बेहतर प्रबन्धन हेतु शासकीय निर्देशानुसार स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिकतम 05 नॉन पी0जी0 जे0आर0 के पदों (जिसकी एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस0 एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0 डिग्री–मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अर्हता हो) की विज्ञप्ति हेतु पदों का विवरण निम्नवत् है–

नॉन पी0जी0 जे0आर0 रिक्त पदों का विवरण	श्रेणी	योग्यता
02	अनुसूचित जाति	एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस0 एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0 डिग्री–मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अर्हता
02	अनारक्षित	
01	अन्य पिछड़ा वर्ग	

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. इस पद पर नियुक्ति 01 वर्ष अथवा शासन/महानिदेशालय से अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. जूनियर रेजीडेन्ट के पदों पर चयन हेतु पात्रता का निर्धारण एन0एम0सी0/शासन के मानकों के आधार पर किया जायेगा।
3. जूनियर रेजीडेन्ट हेतु अभ्यर्थी का Compulsory Rotatory Internship Training दिनांक–30.06.2024 तक पूर्ण होनी चाहिये।
4. आवेदक को एन0एम0सी0/मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल कौन्सिल में स्थाई पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रोविजनल डिग्री मात्र 06 माह की अवधि तक मान्य होगा।
6. अभ्यर्थियों का चयन अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको एवं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर मेरिट से किया जायेगा।
7. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
8. ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
9. हाईस्कूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सत्यापन हेतु)।
10. पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
11. उक्त पदों पर शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।
12. जो अभ्यर्थी राजकीय मेडिकल, आजमगढ़ के किसी एक ही विभाग में अथवा सम्मिलित रूप से जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्स्ट्रेटर के रूप में 03 वर्ष कार्य कर चुके हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु अनुमन्यता प्रदान नही की जायेगी।
13. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही किसी संस्थान में कार्यरत है, तो साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित संस्थान से Experience/Relieving Letter/NOC लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
14. जूनियर रेजीडेन्ट के पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष तक ही अनुमन्य है।
15. स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिकतम 05 नॉन पी0जी0 जे0आर0 के पदों पर साक्षात्कार हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0 डिग्री–मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिमिस्ट्रेशन की अर्हता अनिवार्य है।

09/06/25

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्या–550 /रा0मे0का0आ0 / ई0सी0–4 /नियुक्ति–जे0आर0 / विज्ञप्ति / 2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

3–प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानुपर / मेरठ / आगरा / झाँसी / गोरखपुर / प्रयागराज / अम्बेडकर नगर / कन्नौज / बॉदा / जालौन / सहारनपुर एवं बदायूॅ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

4–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़।

5–चिकित्सा अधीक्षक प्रथम / द्वितीय, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़।

6–प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

7–समस्त सदस्य चयन समिति, जूनियर रेजीडेन्ट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

8–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड / सूचना पट्ट हेतु।

09/06/25

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।